

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 के अन्तर्गत जामक ब्याणा से स्यावा मोटर मार्ग का निर्माण (6.00 किमी०) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (कुल वन भूमि 3.318 हे०)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 02.10.2012 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मदन लाल जोशी, (अनुभाग सौरा) वन दरोगा, बलवा, सिंहाई खण्ड, (वन रक्षक सौरा बीट) से राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय पटवारी श्री जनक लाल प्रजापति, विभाग (सिंहाई खण्ड लो०नि०वि०) की ओर से कनिष्ठ अभियन्ता श्री वेद प्रकाश एवं श्री बाल जी मोटियाल अंगीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। किमी० 0.00 से 6.00 किमी० लम्बाई का इस मोटर मार्ग का निर्माण के कार्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है, तथा इसी मोटर मार्ग निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण हेतु दो विकल्प प्रस्तावित किये गये हैं।

समरेखन न० 1 को नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा इस समरेखन में 3.318 हे० वन भूमि की आवश्यकता है, तथा विभिन्न प्रजाति एवं व्यास के 107 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

समरेखन न० 2 को नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है तथा इस समरेखन में अधिक वन भूमि की आवश्यकता होने तथा समरेखन न० 1 में कम वन भूमि हाने के कारण समरेखन न० 1 को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया तथा इसी समरेखन पर वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

प्रस्तावित समरेखन में आरक्षित वन भूमि 2.891 हे० सिविल सोयम वन भूमि 0.427 हे०, कुल 3.318 हे० वन भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। तथा प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रणगत कार्य जनहित में किया जाना है। इस क्षेत्र का घनत्व 0-3 है।

आपेक्षित वन भूमि में कुल 107 वृक्षों का घातन किया जाना है। जिनका प्रजाति एवं व्यास का विवरण संलग्न है। आपेक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

1. आरक्षित वन भूमि लम्बाई - 4130 मी० चौड़ाई - 7.00 मी० क्षेत्रफल - 2.891 हे०
2. सिविल वन भूमि लम्बाई - 610 मी० चौड़ाई - 7.00 मी० क्षेत्रफल - 0.427 हे०

कुल क्षेत्रफल - 3.318 हे०

अमीन
सिंहाई खण्ड, लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

कनिष्ठ अभियन्ता,
सिंहाई खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी

संयुक्त अभियन्ता,
सिंहाई खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी

अधीक्षक अभियन्ता,
सिंहाई खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी

वन दरोगा

क्षेत्रीय पटवारी तहसीलदार, भटवाडी

उप जिलाधिकारी, भटवाडी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मुखेम रंज, धौतरी

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A personal has been received by this office from Irrigation Division PWD, Uttarkashi for diversion under FCA- 1980 of 3.318 Hec. Forest land non forestry propose. The project envisages the use of forest land for construction of Jamak Byana to Syawa Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 10.02.2012 26/2013

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/Unclass/Protect Forest measuring 3.318 Hec.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. - Yes

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If, so the details there of - NO

Whether any protected archeological/heritage site/defence Establishment or any other important monuments is located in the area. If, so the details there of with NOC from competent authority, if required. - NO

- ☒ i) The user agency has not violated the provision of the forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- ☒ ii) It has been found that the user agency has violated the forest (Conversation), Act 1980 has provisions. A detail report as per Para 1.9 of Chapter I, Para C of hand book of forest (Conversation), Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal- The proposal recommended subject to fulfillment of condition like provision of compensatory afforestation, N.P.V., boundary pillars, demarcation, site development for muck disposal and strictly adherence to F.C.A. 1980.

Place : uttarkashi

Name : **Divisional Forest Officer**
Uttarkashi Forest Division
UTTARKASHI

Date : 2-10-2013

Designation :

N.B. x

Xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter No. 2-2/2000 FC dated 16.10.2000 for Ministry of Environment and forest, Government of India for proposal involving less than 40 Hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 Hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.